आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

'हर काम देश के नाम' विशेषांक

प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण
सह्याद्री पर्वत श्रंखला

पुणे अंचल की तिमाही गृहपत्रिका - अंक जून 2022

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों, शाखाओं एवं स्टॉफ सदस्यों के बीच केवल निजी वितरण हेतु

आजादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए 'केंद्रित' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

संरक्षक
श्री बी.बी.मुटरेजा
अंचल प्रमुख

मार्गदर्शन
श्री संदिप्त कुमार पटेल, उप-महाप्रबंधक
श्री स्वदेश चंद्र, सहायक महाप्रबंधक
श्री नरेन्द्र पंजाबी, सहायक महाप्रबंधक
श्री उदय शंकर, सहायक महाप्रबंधक
श्री नयन कुमार सिन्हा,सहायक महाप्रबंधक

परामर्शदाता
मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक
क्षेत्रीय प्रमुख, अकोला
क्षेत्रीय प्रमुख, अमरावती
क्षेत्रीय प्रमुख, औरंगाबाद
क्षेत्रीय प्रमुख, अहमदनगर
क्षेत्रीय प्रमुख, जलगांव
क्षेत्रीय प्रमुख, नागपुर
क्षेत्रीय प्रमुख, नासिक
क्षेत्रीय प्रमुख, पुणे
क्षेत्रीय प्रमुख, सोलापुर

संपादक
श्री राजीव तिवारी,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपर्क
राजभाषा विभाग
आंचलिक कार्यालय, पुणे
cmhindipunezo@centralbank.co.in
संपर्क – 84088-88775 / 77679-71351

अनुक्रमणिका

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अंचल प्रमुख का संदेश	3
2	उप-महाप्रबंधक का संदेश	4
3	संपादकीय	5
4	डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान	6
5	डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रणाली की भूमिका और उसमें भारतीय भाषाओं का महत्व	9
6	माटी के लाल - पद्मश्री विजेता हलधर नाग	12
7	थेट पंकज कोटलवारच्या लेखणीतुन – 'करोडपती	13
8	विश्व पर्यावरण	16
9	जनभाषा में इंसाफ – राजभाषा की दृष्टि से	19
10	नकदी-रहित अर्थव्यवस्था	25
11	आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश	27
12	आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विविध गतिविधियां	29
13	*खुशवंत सिंह* द्वारा वर्णित ज़िंदगी के दस सूत्र	35
14	मेरा स्कूल – एक कविता	36
15	राजभाषा कार्यशाला रिपोर्ट	37
16	राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2022-23	38
17	प्रेस कवरेज	39

खंडन –
इस गृहपत्रिका में सम्मिलित किए गए लेखों में व्यक्त विचार आलेखकों/रचनाकर्ताओं के निजी हैं. इनका बैंक से कोई सरोकार नही है.

पुणे अंचल की तिमाही गृहपत्रिका - अंक जून 2022

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों, शाखाओं एवं स्टॉफ सदस्यों के बीच केवल निजी वितरण हेतु

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल के अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

हमारे अंचल की ई-पत्रिका **'सेंट सह्याद्रि'** के वर्तमान अंक के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मुझे पुन: प्राप्त हुआ है. मैं अपनी इस पत्रिका के पिछले कई अंकों के माध्यम से हमारे बैंक की स्थिति के बारे में कई मुद्दों पर चर्चा करता रहा हूं और साथ ही मैंने अपने अंचल के कार्य-निष्पादन के सम्बंध में भी अपने विचार रखे हैं. अपने इस अंक के माध्यम से आज फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारा बैंक व्यावसायिक पैरामीटरों में से कुछ पर अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. परंतु बदलाव के इस दौर में हमें सुनियोजित तरीके से एकजुट होकर कार्य करने की अब भी जरूरत है.

गत तिमाही में हमने अपनी परम्परागत बैंकिंग के साथ-साथ कई ऐसी गतिविधियों से रूबरू हुए हैं, जो कि मानव जीवन के लिए हर दृष्टि से लाभदायक रही हैं; इनमें **'विश्व पर्यावरण दिवस', 'डिजिटल इंडिया डे', 'डॉक्टर्स डे' 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'** प्रमुख रहे हैं. इन सबके पीछे राष्ट्रीयकृत बैंकों का सामाजिक बैंकिंग करना एक प्रमुख लक्ष्य रहता है. साथ ही, हमने अपने बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला जी की 83वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ सेन्ट्रलाइट साथियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारे शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अभियान चलाने के निर्देश दिए जाते हैं, यदि हम इनके माध्यम से दिए जाने वाले लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहते हैं अथवा उन लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल नहीं कर पाते हैं तो सच मानिये कि हम बैंक की प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर हमें मुस्तैदी से अपने कार्यों को पूरा करने की जरूरत है. इसलिए मैं आप सबको यह आव्हान करना चाहूंगा कि यह समय की मांग है कि हमारे बैंक की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमारे शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे निर्देशों के अनुपालन में कोई कोर-कसर न छोडें.

अंत में, मैं आप सबको आपके कार्यों में आपको अपार सफलता मिले, ऐसी कामना करता हूं.

बी.बी.मुटरेजा
अंचल प्रमुख

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल के उप-महाप्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

मुझे खुशी है कि हमारे अंचल की ई-पत्रिका 'सेन्ट सह्याद्रि' के जून 2022 के अंक के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है.

वर्तमान तिमाही में हमारे अंचल ने 'डिजिटल बैंकिंग' की दिशा में बेहतर कार्य है. मैं इस सम्बंध में सुझाव देना चाहता हूं कि हम अपने अधिक से अधिक नए एवं पुराने बचत खाताधारकों को एटीएम कार्ड जारी करें. मुझे मालूम है कि इस समय हमारी शाखाएं अपने नए खाताधारकों को खाते खोलते समय एटीएम कार्ड जारी कर रहीं हैं. हमें अपने पुराने खाताधारकों को भी कार्ड जारी करने चाहिए ताकि इससे उन्हें उनके खाता परिचालन में सहायता तो मिलेगी ही; इससे हमारी शाखाओं में भी ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रण करने में हमें मदद मिलेगी.

मैं आप सभी से आव्हान करना चाहूंगा कि इस तिमाही के लिए हमारे केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों को अनुपालन अपनी शाखा की टीम के साथ करें. हमें चाहिए कि हम एनपीए खातों में वसूली करें और नए स्लिपेज को कड़ाईपूर्वक रोकें. कासा जमा संग्रहण के लिए लगातार प्रयासरत रहें क्योंकि कम लागत वाली जमाओं के बल पर ही हम अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो सकेंगे. मैं यह भी दोहराना उचित समझता हूं आप सभी हमारे बैंक की वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हैं और अब भी हमें मीलों लम्बा कठिन सफर तय करना है.

मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप अपने सुदृढ़ प्रयास और अथक परिश्रम के साथ कार्य करें ताकि बैंक कार्यनिष्पादन के सभी मापदंडो में पुणे अंचल का नाम शिखर पर हो. मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर ऐसा अवश्य ही कर पाएंगे.

एक बार फिर से आप सबको आपके प्रयासों की अपार सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं.

संदिप्त कुमार पटेल
उप-महाप्रबंधक

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

संपादकीय

पुणे अंचल में कार्यरत् सभी सेंट्रलाईट साथियों,

एक बार पुन: आप सभी सुधि और सहृदय पाठकों का यथायोग्य अभिवादन

साथियों, आंचलिक कार्यालय पुणे की त्रैमासिक ई-पत्रिका 'सेन्ट-सह्याद्रि' के अप्रैल-जून 2022 तिमाही का अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है. यह ज्ञातव्य है कि दिनांक 21.06.2022 को हमने **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021** सादगीपूर्ण रीति से अंचल के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए, जो कि अच्छे एवं स्वस्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है. योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है. योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है और एक स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है. योग आंतरिक शांति प्राप्त करने और तनाव तथा अन्य समस्याओं के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है. योग एक व्यक्ति में शांति के स्तर को बढ़ाता है और उसके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने तथा उसे खुश रहने में मदद करता है. एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है. आजकल जीवन बहुत तनावपूर्ण है और हमारे आसपास बहुत प्रदूषण है. यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है. सिर्फ 10-20 मिनट का योग हर दिन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद कर सकता है. बेहतर स्वास्थ्य का मतलब बेहतर जीवन है.

साथियों, इस अंक में हमने आपकी रूचियों और अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए समयानुरूप प्रासंगिक विषयों को शामिल किया है. प्रस्तुत आलेखों की रचना और संकलन हमारे अंचल के कार्मिकों द्वारा किया गया है. हमारी अपेक्षा है कि उक्त आलेख आपके पठन-बुभुक्षा को संतुष्ट करने में सफल होगें. आपसे अनुरोध है कि आप अपने मंतव्य से हमें अवश्य अवगत कराएं जिससे हमारी गृह पत्रिका विकास के पथ पर सतत् अग्रसर होती रहे.

हमें आपकी रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी.

राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक- राजभाषा

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर – एक राष्ट्र निर्माता

(131वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्राप्त आलेख)

परिचय

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो उस समय सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित था. इसके बावजूद भी बाबा साहेब की गिनती दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में की जाती है. बाबा साहेब के पास अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा जर्मनी की उच्च डिग्रियां थीं तथा इंग्लैण्ड से वकालत पास कर स्वतंत्र रूप से बम्बई में वकालत शुरू कर दी. डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को "शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो" का नारा देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया. उनका शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम केवल दलितों तक ही सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया. डॉ. आंबेडकर ने "पीपल्ज़ एजुकेशन सोसायटी" के माध्यम से मुम्बई में कालेज स्थापित किये जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध करायी और जनसाधारण की समस्यायों को सामने रख कर उनमें प्रातः तथा सायंकाल पढ़ाई की व्यवस्था की.

बाबा साहेब ने राष्ट्र के निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिन्हें निम्नानुसार उल्लेखित किया जा रहा है:

1. **स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण**

   यह सर्वविदित है कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है. इस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज भारत में यदि लोकतंत्र जीवित है तो वह इस संविधान के कारण ही है. भारत में संसदीय लोकतंत्र और सरकारी समाजवाद की स्थापना में बाबा साहेब का अद्वितीय योगदान है.

2. **राजनीतिक सत्ता में आम-जन की हिस्सेदारी**

   भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने पर प्रान्तों में विधान सभाएं स्थापित करने एवं स्वराज की पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया तो बाबा साहेब ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी करने के ध्येय से स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की तथा उसके झंडे तले 1937 का पहला चुनाव लड़ा. इसमें उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली. इस पार्टी में दलितों के हितों के साथ साथ मजदूर हितों की वकालत भी की गयी थी तथा कई प्रस्ताव रखे गए थे. बाबा साहेब चाहते थे कि मजदूरों को केवल बेहतर कार्य स्थिति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि उन्हें राजनीति में भाग लेकर राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए.

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान.....जारी

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान.....जारी

3. **श्रमिक कानून संबंधी कार्य**

सन 1942 में जब बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने थे तो उन के पास श्रम विभाग था जिस में श्रम, श्रम कानून, कोयले की खदानें, प्रकाशन एवं लोक निर्माण विभाग थे. श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत से कानून बनाये जिन में प्रमुख इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मुआवज़ा, काम के घंटे तथा प्रसूति लाभ आदि प्रमुख हैं. वर्तमान में जितने भी श्रम कानून हैं उनमें से अधिकतर बाबा साहेब के ही बनाये हुए हैं जिस के भारत का मजदूर वर्ग उनका सदैव ऋणी रहेगा.

4. **बिजली उत्पादन योजनाएं**

बाबा साहेब यह भी जानते थे कि बिजली के बिना औद्योगीकरण संभव नहीं है. उनका विचार था कि हमें सस्ती बिजली बनानी चाहिए. बाबा साहेब नदियों पर बांध बना कर बिजली पैदा करना चाहते थे. इसी उद्देश्य से उन्होंने दामोदर घाटी योजना, सेंट्रल वाटरवेज़, इर्रीगेशन एंड नेवीगेशन कमीशन की स्थापना की. कालांतर में कई बड़ी बहुउद्देशीय नदी योजनायें बनायीं गयीं जिनसे बिजली के उत्पादन के साथ साथ कृषि सिंचाई एवं बाढ़ नियंतरण में सहायता मिली.

5. **कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण**

बाबा साहेब भारत की बढ़ती आबादी के कारण उपजी गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी आदि समस्यायों के बारे में बहुत चिंतित थे. अतः वे खेती को अधिक उन्नत करना चाहते थे. वास्तव में वे इसे उद्योग का दर्जा देना चाहते थे. अतः उन्होंने सम्पूर्ण कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण करके रूस की भांति सामूहिक खेती का प्रस्ताव रखा ताकि कृषि का मशीनीकरण हो सके.

6. **नदी सिंचाई योजना**

बाबा साहेब ने नदियों पर बाँध बना कर उनसे नहरें निकलने तथा बिजली पैदा करने की योजनायें बनायीं थीं. इस प्रकार वे नदियों की बाढ़ से होने वाली तबाही को खुशहाली के साधन बनाना चाहते थे. इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में सर्वप्रथम "दामोदर नदी घाटी" की योजना बनायी जो अमेरिका की "टेनिस वेली अथारिटी" की तरह की थी. इसी प्रकार उन्होंने भारत की अन्य नदियों के जल का उपयोग करने की योजनायें भी बनायीं.

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान.....जारी

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान.....जारी

7. **नदी यातायात योजनाएं**

बाबा साहेब नदी यातायात को भी बहुत बढ़ावा देना चाहते थे क्योंकि यह काफी सस्ता है. इसी उद्देश्य से उन्होंने सेंट्रल वाटरवेज़, इर्रीगेशन एंड नेवीगेशन कमीशन (CWINC)की स्थापना भी की थी. वर्तमान मोदी सरकार इसी का अनुसरण कर रही है. बाबा साहेब नदियों में मिटटी भराव के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु अधिक गहरा करने के लिए छोटी एटमी शक्ति का प्रयोग करने के भी पक्षधर थे. इस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि, सिंचाई तथा नदी जल के सदुपयोग के बारे में बाबा साहेब की सोच कितनी आधुनिक एवं प्रगतिशील थी.

8. **परिवार नियोजन योजना**

बाबा साहेब जानते थे कि भारत की निरंतर बढ़ती आबादी राष्ट्र के पिछड़ेपन का कारण है. इसी लिए उन्होंने 1940 में बम्बई एसेम्बली में परिवार नियोजन योजना लागू करने का बिल प्रस्तुत किया था.

9. **दलित नवयुवकों में अनुशासन**

बाबा साहेब ने स्वयं सेवक संघ की तरज पर दलित नवयुवकों का "समता सैनिक दल' बनाया. सन 1942 में उन्होंने इस का बड़ा सम्मलेन भी किया. बाबा साहेब इस के माध्यम से दलित नवयुवकों में अनुशासन, आत्म रक्षा एवं अपने नेताओं की रक्षा करने तथा अत्याचार का विरोध करने की भावना पैदा करना चाहते थे.

10. **शराब बंदी लागू करना**

महिलायों को अपनी मुक्ति और अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने अथक योगदान दिया. उन्होंने महिलायों को शराब बंदी लागू करने के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया. उन्होंने महिलायों को सलाह दी कि यदि उनका पति शराब पीकर घर आये तो वे उसे खाना न दें. इस से बाबा साहेब की महिलायों की मुक्ति सम्बन्धी चिंता का आभास मिलता है.

11. **हिन्दू नारी का उत्थान**

बाबा साहेब महिलायों के शुद्र होने की स्थिति के कारण व्याप्त दुर्दशा एवं अधोगति से बहुत दुखी थे. अतः वे महिलायों को भी कानूनी अधिकार दिलाना चाहते थे.1952 में जब वे भारत के कानून मंत्री बने तो उन्होंने अथक परिश्रम करके हिन्दू कोड बिल तैयार किया और उसे पास करने हेतु संसद में पेश किया. यही बिल हिन्दू विवाह एक्ट, हिन्दू उतराधिकार एक्ट, हिन्दु स्पेशल मैरेज एक्ट आदि के रूप में 1956 में पास हुआ. इससे स्पष्ट है कि भारतीय, खास करके हिन्दू नारी के उत्थान में डॉ. आंबेडकर का महान योगदान है.

12. **अन्य सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं**

मजदूर वर्ग का कल्याण, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, कृषि सिंचाई एवं जल यातायात सम्बंधी योजनाएं तैयार करना था. इसके फलस्वरूप ही बाद में भारत में औद्योगीकरण एवं बहुउद्देशीय नदी जल योजनायें बन सकीं.

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि बाबा साहेब ने भारत के औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण में जो महान योगदान दिया है उस के लिए भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रणाली की भूमिका और उसमें भारतीय भाषाओं का महत्व

भारत सरकार ने 'डिजिटल इंडिया अभियान' को पिछले पांच वर्षों से अभूतपूर्व गति प्रदान की है. हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उदघोषित डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता हेतु ठोस कार्ययोजना के साथ इसे सतत जारी रखा गया है. ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा अपनी भिन्न-भिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न पात्र वर्गों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि पूरी तरह से लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए इसके तहत, बैंकों में बेसिक बचत बैंक खाता खोलने के लिए असाधारण जग-जागरण अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि जैसी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाओं के तहत, बैंकों में करोड़ों की संख्या में खाते खोले गए.

इस सम्बंध में यदि गुजरे जमाने पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि "हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो वह गांवों में पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता है." इस डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली से जब एक रुपया भेजा जाए तो वह गरीब के बैंक खाते में पूरी तरह से एक रुपया ही जमा हो. जन-सामान्य के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान का यह सीधा सीधा लाभ है.

एक बार, केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 12 अंकीय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर वाले आधार के साथ, अब 110 करोड़ बैंक खातों में से 76 करोड़ से अधिक बैंक खाते 'आधार' के साथ जोड़े जा चुके हैं. 'आधार' पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह किसी की व्यक्तिगत जानकारी उजागर नहीं करता. डिजिटल इंडिया के लिहाज से यह निश्चय ही सराहनीय कदम है क्योंकि इससे सरकार की योजनाओं के अंतर्गत भारत की अधिकांश आबादी के बैंक खातों में पात्र राशि सीधे जमा हो रही है.

इससे जहां एक और कदम-कदम पर बिचौलियों/घूसखोरों की भरमार से लाभार्थियों को संभावित आर्थिक नुक्सान से मुक्ति मिल रही है. वहीं दूसरी ओर; योजनाओं का सही एवं उचित क्रियान्वयन भी संभव हो पा रहा है. वर्तमान में लगभग सभी भारतीय बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंड वाली उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है. उनके पास विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक डिलेवरी चैनल्स उपलब्ध हैं, जिनके जरिए भारतीय समाज को 'हर जगह, हर कहीं, हर समय' बैंकिंग लेनदेन पूर करना अब सुलभ हो गया है. इनमें आधुनिक एटीएम, आधुनिक क्यिॉस्क मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, विभिन्न विशेषताओं से युक्त डेबिट/क्रेडिट कार्डस् आदि शामिल हैं.

इन सबके बावजूद भी, परम्परागत बैंकिंग की सुविधाएं जैसे बैंकों की शाखाओं में चैक/ड्राफ्ट की उपलब्धता, शाखाओं में नकदी जमा एवं भुगतान की त्वरित सुविधाएं, आज भी बैंकों के ग्राहकों को बराबर उपलब्ध हो रही हैं. बैंकों में सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्यरत कंप्यूटरों से, ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा मिल रही हैं.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज बैंक का कोई भी ग्राहक, किसी बैंक की किसी विशिष्ट शाखा का ग्राहक नहीं है, अपितु वह बैंक की सभी शाखाओं का ग्राहक हो गया है. ग्राहक, बैंक की किसी भी शाखा में धन राशि जमा करा सकता है, चैक/ड्राफ्ट जमा करा सकता है और बैंक की किसी भी शाखा से धन आहरण कर सकता है. यही कारण है कि इस डिजिटल बैंकिंग के युग में ग्राहक अब अत्यंत सुलभ एवं आसान सेवाएं बैंकों से प्राप्त कर रहे हैं.

चूंकि मौजूदा सरकार डिजिटलीकरण के प्रति काफी गंभीर एवं संवेदनशील है, इसलिए इस दिशा में प्रगति तेजी से होना स्वाभाविक है. वर्ष 2019 के अंत तक देश के तीन लाख से अधिक गांवों में ब्राडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. हमारा देश विश्व का तीसरे नम्बर का देश है, जिसमें लगभग 35.50 करोड़ लोग से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं. इस क्षेत्र के प्रथम दो देश, चीन एवं अमेरिका हैं. गूगल का अनुमान है कि आगामी कुछ वर्षों में ही भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी.

यहां गौरतलब यह भी है कि भारत एक ऐसा देश है, जिसकी जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग, 35 वर्ष से कम उम्र का है और इस उम्र के युवाओं में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने तथा उसमें नए-नए अनुसंधान करने की तीव्र इच्छा रहती है. इस लिहाज से निश्चय ही भारत डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. सर्वे बताते हैं कि अब विश्व, भारतीय युवाओं के तकनीकी ज्ञान का लोहा मान गया है. इस सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के युग में, मोबाइल निर्माताओं ने जबरदस्त क्रांति लाई है क्योंकि मोबाइल केवल बात करने का माध्यम नहीं रह गया है; अब यह आम आदमी की दैनंदिन जिंदगी का परम आवश्यक साधन बन गया है.

यह एक बहु-उद्येशीय उपयोगी डिवाइस है, जिसके बगैर आम आदमी अब नहीं रह सकता है. मोबाइल, विशेषकर स्मार्ट फोन डिवाइस से कैमरा, रेडियो, ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग, व्यक्तिगत डायरी, केलकुलेटर, घड़ी, इंटरनेट सुविधा, मैसेज भेजने एवं प्राप्त करने का अचूक माध्यम, यूटिलिटी पेमेंट इत्यादि जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे मिल रही हैं. यह एक प्रकार का मोबाइल पी.सी. (कंप्यूटर) है, लेपटॉप है, स्टेनोग्राफर है यानी कुल-मिलाकर यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अब यह एक 'मिनी ऑफिस' हो गया है. डिजिटल इंडिया की संकल्पना को मोबाइल डिवाइस के द्वारा बड़ी आसानी से पूरा किया जा रहा है. मोबाइल के जरिए, बेसिक बैंकिंग का संपूर्ण कार्य घर बैठे किया जा रहा है. डिजिटल बैंकिंग की सफलता में स्मार्ट मोबाइल सेट की अहम भूमिका हो गई है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा अथवा भाषाओं के उपयोग की बात है तो इस समूची सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति कके युग में अहम किरदार यद्यपि अंग्रेजी भाषा का है, तथापि, अब विश्व के तमाम देश जो सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं के जनक हैं, निर्माता हैं, अविष्कारक हैं, यह बात भलीभांति समझ चुके हैं कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में यदि उन्हें अपना माल बेचना है तो इस डिवाइस को सभी भारतीय भाषाओं में कार्य करने की सुविधा के साथ उपलब्ध कराना होगा. यही कारण है कि विश्व के विकसित देशों द्वारा निर्मित स्मार्ट मोबाइल हैण्डसेटस् में हमारी सभी प्रमुख भाषाओं में कार्य करने की सुविधा विद्यमान हो गई है. बेहतर होगा कि हम सभी भारतीय, तकनीकी के प्रयोग में अपनी भाषाओं का उपयोग करने में स्वयं आत्म-गौरव महसूस करें. अपनी भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें और करवाएं तथा करने वालों की अनुमोदना करें.

यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, विश्व-भाषा बने, यह संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने, इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिले तो सबसे पहले हमें अपनी इस लोकप्रिय भाषा का सर्वाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा. इसे वह सम्मान देना होगा, जिसकी कि यह हक़दार है.

यह कहना समीचीन होगा कि डिजिटल इंडिया के सपने को अक्षरश: साकार करने के लिए यह जरूरी होगा कि देश की संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं की सुविधा से युक्त हो. सर्वेक्षण के आंकड़े वयां करते हैं कि देश की केवल 5 से 6 प्रतिशत जनसंख्या ही अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान रखती है; जबकि शेष जनसंख्या अपनी भारतीय भाषाओं का ज्ञान रखती है. इसमें भी, हमारे देश की लगभग 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 'हिन्दी भाषा' का ज्ञान रखती है. इसलिए, यह जरूरी है कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को पूरा करने के लिए, केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग जरूरी है.

इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी सरकार के साथ-साथ तकनीकी क्षेत्र से जुड़े सभी विद्धानों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक होगा और तदनुसार ठोस कदम उठाने होंगे. कुल-मिलाकर यह तय है कि हमारा देश, डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की 'रीढ़ की हड्डी' कहे जाने वाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल बैंकिंग में परिणत करेगा और इसमें भारतीय भाषाओं की जबरदस्त अहम भूमिका होगी. इसमें सबका सहयोग, सकारात्मक दृष्टिकोण और एकमेव देश की प्रगति का लक्ष्य अपना अहम किरदार निभाएगा.

.....

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

(माटी के लाल - पद्मश्री विजेता हलधर नाग)

साहब दिल्ली आने तक के पैसे नही है कृपया पुरस्कार डाक से भिजवा दो.

हलधर नाग - जिसके नाम के आगे कभी श्री नही लगा, 3 जोड़ी कपड़े ,एक टूटी रबड़ की चप्पल एक बिन कमानी का चश्मा और जमा पूंजी 732 रुपयए. पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ओड़िशा के हलधर नाग जो कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं. ख़ास बात यह है कि उन्होंने जो भी कविताएं और 20 महाकाव्य अभी तक लिखे हैं, वे उन्हें ज़ुबानी याद हैं. अब संभलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन 'हलधर ग्रन्थावली-2' को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा. सादा लिबास, सफेद धोती, गमछा और बनियान पहने, नाग नंगे पैर ही रहते हैं.

उड़िया लोक-कवि **हलधर नाग** के बारे में जब आप जानेंगे तो प्रेरणा से ओतप्रोत हो जायेंगे. हलधर एक गरीब दलित परिवार से आते हैं.10 साल की आयु में मां बाप के देहांत के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. अनाथ की जिंदगी जीते हुए ढाबे में जूठे बर्तन साफ कर कई साल गुजारे. बाद में एक स्कूल में रसोई की देखरेख का काम मिला. कुछ वर्षों बाद बैंक से ₹1000 की राशि का कर्ज भी मिला.

इन्हें 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है – रविशंकर शुक्ल

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

थेट पंकज कोटलवारच्या लेखणीतुन – 'करोडपती मेंदुचं रहस्य'

तो मार्च किंवा एप्रील महीना असावा, वर्ष २०१५, एका संध्याकाळी, उदास चेहऱ्याने मी ऑफीसमध्ये बसुन होतो, पैशाची प्रचंड चणचण जाणवत होती, लातुरमध्ये भयाण दुष्काळ पडला होता, जिकडेतिकडे भीषण पाणीटंचाईच्याच चर्चा चालु होत्या. बांधकामे पुर्णपणे ठप्प झाली होती, व्यवसायाने मी आर्किटेक्ट, मागचा एक वर्ष तुटपुंज्या बचतीवर कसेबसे निभावले होते, पण आता खिसे रिकामे झाले होते, गरजा कशा भागवायच्या अशी चिंता सतावत होती, कसलाच मार्ग दिसत नव्हता, पैशाचे दुखणे खरचं अवघड जागचे दुखणे असते, "सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही", कुणापुढे आर्थिक अडचणी सांगीतल्या तर उरलीसुरली अब्रुही जाते.

विशेष काही काम नव्हतं, (खरतरं कसातरी टाईमपास करुन दिवस ढकलायचो, बस्स!) मन मोकळं करायला जवळचा, आपला म्हणावा, असा कोणी मित्रही नव्हता, उदास राहण्याने आणि टेंशन घेण्याने कशाचाही कंटाळा येवु लागतो, अशा वेळी मुड बदलण्यासाठी चांगलं पुस्तक वाचणं आणि रिचार्ज होणं, हाच एक हुकुमी उपाय असतो आपल्याजवळ. मग त्या संध्याकाळी खुप दिवसांनी जड मनाने लायब्ररीत गेलो, कपाटात ओळीने पुस्तकं काचेच्या कपाटात मांडुन ठेवली होती, त्या कपाटांपुढे मी रेंगाळत होतो, अचानक एका पुस्तकाच्या टायटलमधल्या 'करोडपती' शब्दाने माझं लक्ष वेधुन घेतलं, पैशासाठी खुप भुकेला होतो मी, इतकं माझ्याएवढं गरजु ह्या ब्रम्हांडात कोणीच नव्हतं! माझं आयुष्य उजळुन टाकणारं, 'करोडपती मेंदुचं रहस्य' हे ते पुस्तक, मी तात्काळ ते बुक इश्शु केलं, पुन्हा ऑफीसला येवुन बसलो, सात वाजले असतील, वाचायला सुरुवात केली, आणि पुढचा अडीच तास कसा गेला, कळालंच नाही! ते पुस्तक वाचताना, माझ्यात एका आगळ्यावेगळ्या शक्तीचा संचार झाला, काही वेळा मी हसलो, कधी डोळ्याला धारा लागल्या, अंतर्मुख आत्मपरीक्षण करण्यास ह्या पुस्तकाने भाग पाडलं, ह्या पुस्तकाचा लेखक आहे, टी. हार्व एकर, अमेरीकेतल्या एका माणसानं हे पुस्तक लिहलयं, हार्व एक जो प्रचंड मेहनती, कष्टाळु माणुस होता, पण अनेक बिजनेस करुनही, वयाच्या तिशीत कफल्लकच होता, दहा वर्षात तीनदा दिवाळखोर जाहीर होवुन, अद्याप सुशिक्षीत बेकारच होता, त्याला निराशेने घेरलेले असते आणि आईवडीलांच्या मदतीवर तो जगत होता, एका रात्री त्याच्याकडचे पुर्ण पैसे संपलेले असतात, आणि त्याला आपल्या गाडीत पेट्रोल भरायचे असते, तेव्हा आपल्याकडचे सुटे पैसे, पिशवीमध्ये तो एकत्र करतो आणि आपली खटारा कार घेऊन पेट्रोल पंपावर जातो, आणि ती चिल्लरची पिशवी पाहुन तिथले लोक जोरजोरात हसु लागतात, हार्वला खुप ओशाळवाणे वाटते, तिथुन कसाबसा बाहेर पडून तो, पुढे जाऊन तो रस्त्याच्या कडेला गाडी थांबवतो, झालेला अपमान त्याला सहन होत नाही, तो ओक्शाबोक्शी रडु लागतो,

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

त्याला स्वतःच्या गरीब असण्याचा तिटकारा येत असतो, स्वतःवरच दया येत असते, प्रचंड बुद्धीमान असुनही ही वेळ का आली? हा प्रश्ण त्याला सतावत असतो, आणि तो एक गर्जना करतो, "बस्स! हे सगळे मी आता बदलुन दाखवीन! या जगाला मी श्रीमंत बनुन दाखवीन!"

त्या दिवसांपासुन त्याने झपाटुन मेहनत घेतली, त्याची रोमहर्षक कथा मुळ पुस्तकात वाचता येईल, पण थोडक्यात सांगायचे तर पुढच्या फक्त दोन वर्षांनी हार्वची कंपनी, "फॉर्चुन ५००" मध्ये जाऊन पोहचली, गरीबीवर मात करुन हार्व 'श्रीमंत कसे व्हावे' हे शिकवणारा मोटीव्हेटर टिचर झाला, जगभर त्याचे सेमिनार होतात. काय होतं हे करोडपती होण्याचं तंत्र! अशी पुस्तकं वाचुन, खरचं एका रात्रीत, असं आयुष्य बदलत का? झटपट श्रीमंत व्हायला शॉर्टकट असतात का ही पुस्तकांना खपवुन बेस्ट सेलर बनवण्याची नुसती बुवाबाजी? श्रीमंत बनण्यासाठी हार्वने ह्या पुस्तकात सतरा नियम सांगीतलेत, जे वापरुन मलाही खुप फायदा झाला, मी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झालो, हे संपुर्ण पुस्तक श्रीमंत आणि गरीब ह्या दोन शब्दांभोवती फिरते, लेखक स्पष्ट करतो की कुणालाही गरीब म्हणुन त्याला अजिबात हिणवायचं नाहीये, श्रीमंत आणि गरीब हे शब्द फक्त आपल्या मानसिकता दाखवण्यासाठी वापरले आहेत.

तर श्रीमंत बनण्यासाठी काय करायला हवे? याबद्दल या पुस्तकातुन मला जे काही समजले, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे.

1) श्रीमंत लोकांना वाटते, मी माझं आयुष्य घडवतोय!, गरीब लोकांना वाटते, नियती माझ्याशी खेळत आहे!

हार्व म्हणतो, माणुस पहीले मनाने श्रीमंत होतो, आणि मग प्रत्यक्षात पैसा त्याच्यापाशी येतो, श्रीमंत लोक यश-अपयशाची जबाबदारी घेतात, गरीब लोक दुःखाचा बागुलबुवा करतात, त्यांना वाटतं, की आयुषय त्यांना शिक्षा देत आहे, म्हणुण ते अधिकाधिक गरीब होतात.

2) श्रीमंत लोक जिंकण्यासाठी मनसोक्त खेळतात, गरीब लोक न हरण्यासाठी लढत राहतात.

श्रीमंत लोक उराशी मोठी ध्येय बाळगतात, आणि संधी मिळताच पुर्ण ताकतीनिशी त्यावर तुटुन पडतात, म्हणुन बहुतांश वेळा फत्ते होतात, गरीब लोक आयुष्यकडून जेमतेम अपेक्षा ठेवतात, मग समोर दडलेल्या संधीही त्यांना दिसत नाहीत, आणि असलीच तर तिचा वापर करण्याची उर्जाही त्यांच्यात उसळुन, त्यांच्यात निर्माण होत नाही.

3) श्रीमंत लोक श्रीमंत होण्यासाठी समर्पित असतात, गरीब लोकांजवळ श्रीमंत व्हायची फक्त इच्छा असते.

समर्पित होणं म्हणजे झपाटुन जाणं, वेळ पडल्यास, न कुरकुरता, दिवसातुन अठरा-वीस तास सहज काम करणं, ध्येयासाठी वेडं होणं, मग इतरांना अशक्यप्राय आणि स्वप्नवत वाटणाऱ्या गोष्टीही, पायाशी येऊन सलाम करु लागतात.नुसती इच्छा बाळगुन स्वप्ने पुर्ण होत नाहीत, त्यांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वाटचाल करावीच लागते. ह्या जगात फुकट काहीही मिळत नाही, कशाच्या तरी बदल्यात काहीतरी मिळतं.

4) श्रीमंत लोकं मोठा विचार करतात, गरीब लोकं अल्पसंतुष्ट असतात.

तुमचं व्यक्तीमत्व आणि तुमचा व्यवसाय किती जास्त लोकांवर प्रभाव टाकतयं, त्यावरुन तुमच्याकडे येणाऱ्या संपत्तीचा ओघ नक्की होतोय. करोडपती लोकं असे व्यवसाय निवडतात की जो हजारो-लाखो लोकांच्या आयुष्यावर परीणाम करेल. व्यवसायाला अशा पातळीवर नेऊन ठेवतात.

5) श्रीमंत लोक संधीवर लक्ष केंद्रीत करतात, गरीब लोकांना मार्गातले अडथळे तेवढे दिसतात,

प्रत्येक रस्त्यावर खाच खळगे असणार, पण म्हणुन प्रवासच टाळायचा का? अडथळ्यांवर मात करुन गंतव्य स्थानी पोहचण्याचा आगळावेगळा आनंद लुटायचा का खड्ड्यांना नाके मुरडायची? श्रीमंत आणि गरीब लोकांमध्ये हाच फरक असतो.

6) श्रीमंत लोक इतरांच्या संपत्तीचा द्वेष करत नाहीत, गरीब लोक इतरांच्या श्रीमंतीचा हेवा करतात.

इथे लेखक एक अनुभव कथन करतो, जेव्हा स्वतःची महागडी जॅक्कार कार घेऊन एका झोपडपट्टीत मित्राला भेटायला गेला, तेव्हा तिथल्या रहीवाशांनी कारवर स्क्रॅचेस पाडुन बहुमुल्य गाडीची नासधुस केली, दुसरया वेळी त्याने एक खटारा गाडी नेली, ती सुखरुप होती. जे लोक स्वतःला पिडीत, व्यवस्थेचे बळी मानतात, त्यांच्या मानसिकतेमुळे त्यांच्या उत्कर्षात ते स्वतःच बाधा मानतात, ते श्रीमंताचा तिरस्कार करतात, पर्यायाने संपत्तीचा तिरस्कार करतात, ज्या गोष्टीचा आपण तिरस्कार करु, ती जवळ कशी येईल? म्हणुन श्रीमंत दिवसेंदिवस अधिक श्रीमंत होतात आणि इतरांविषयी, त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा मत्सर करणारे, द्वेषभावना बाळगणारे, दिवसेंदिवस, अधिकाधिक गरीब होतात.

म्हणुन एखाद्याचा सुंदर बंगला बघितल्यास, आणि तुम्हालाही तसा हवा असल्यास त्याला मनःपुर्वक आशिर्वाद द्या, एखाद्याची अलिशान कार, एखाद्याचं सुंदर व्यक्तीमत्व बघुन, त्याची मनमोकळेपणाने स्तुती करा, तो करु शकतो, मग मी ही करु शकतो, ह्या एटीट्युडने अशा परिस्थीतीला सामोरे जा.

ह्या पुस्तकातल्या ज्या सतरा नियमांनी माझं आयुष्य बदलुन टाकलं, त्यापैकी हे सात नियम! उरलेले दहा नियम पुढच्या लेखात पाठवेन, वाचायला सोपे जावे म्हणून एक हजार शब्दांचे आर्टिकल्स लिहीत आहे,तुमच्या सध्याच्या सांपत्तीक स्थितीवर तुम्ही खुश आहात का? पैसे मिळवण्याचा आतापर्यंतचा तुमचा संघर्ष कसा होता? पैसा तुमचा मित्र आहे का शत्रू? वरील सात नियमांच्या कसोटीवर तुम्ही श्रीमंत आहात की गरीब? मला लिहून पाठवा,हाच आजचा एक्सरसाईज! जितके मन मोकळे कराल, तेवढे स्वतःला समजण्यात तुम्हाला मदत होईल, म्हणून स्वतः:साठी लिहते व्हा!.....

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

विश्व पर्यावरण

पर्यावरण क्या हैं?

पर्यावरण दिवस के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है? तो दोस्तों, हमारे आस-पास पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वह पर्यावरण का ही अंग है. हम मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़-पौधे भी स्वयं पर्यावरण का ही अंग हैं.

शुद्ध भाषा में कहा जाए तो पर्यावरण पेड़-पौधे, जलवायु , मिट्टी, हवा, पानी जंगल, जमीन, नदियां व पहाड़ इन सब से ही मिलकर बना है और पर्यावरण सीधे-सीधे हमारे दैनिक जीवन से ताल्लुक रखता है. पर्यावरण में लगातार हो रहे बदलाव से मानव जीवन में भी समय-समय पर बदलाव देखने को मिलते हैं.

पर्यावरण खतरे में क्यों है?

पर्यावरण में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण आज स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है. जहां भी देखो प्रदूषण का ही बोलबाला है इस प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और संकट का कारण बन रहे हैं.

लगातार किसी ना किसी कारणवश पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है. वास्तव में यही वजह है कि शुद्ध पर्यावरण को इतने नुकसान पहुंचाने के बाद आज हम सभी मनुष्य को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गवानी पड़ रही है.

पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है?

मानव के प्रकृति व पर्यावरण के प्रति दुर्व्यवहार जैसे कि गौ हत्या होना, मांस खाना, पेड़ों की कटाई, अस्वच्छता फैलाना, पेड़-पौधे ना लगाना, कचरा खुले में फेंकना, जल प्रदूषित करना, मना करने पर भी प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते रहने से आज पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है. इन सब दुर्व्यवहारो का ही परिणाम है जंगल में आग लगना, ग्लेशियर पिघल ना, तरह-तरह की बीमारियां फैलना, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाना व ज्वालामुखी विस्फोट होना.

हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इस पर्यावरण का ही अंग है यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इसका असर हम पर सीधे-सीधे होगा और वह दिन दूर नहीं जब हम सबका जीवन समाप्त हो जाएगा इसलिए हमारे लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अन्यथा इसका परिणाम अत्यन्त विनाशकारी होगा.

प्रस्तावना

दोस्तों, हमारे पर्यावरण पर बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग व पर्यावरण के लगातार शोषण के कारण आज पूरी पृथ्वी समापन की ओर है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पृथ्वी पर जहां देखो प्रदूषण का बोलबाला है. पर्यावरण प्रदूषण ने केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी तक का जीवन बेहाल कर दिया है. आज इस बढ़ते प्रदूषण के चलते हर तरफ स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया है. पर्यावरण की रक्षा हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 05 जून को UNEP (United Nations Education Program) द्वारा किया जाता है. इस अवसर का आयोजन लोगों में पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझाने व अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाता है.

पर्यावरण दिवस की शुरुआत

पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा सन् 1972 में किया गया था जिसमें वर्तमान में 100 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं वह जन-जन तक इसकी जागरूकता और प्रोत्साहन फैलाते हैं. पर्यावरण दिवस को हर साल मनाने का निश्चय सन् 1973 में किया गया था. प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए एक टीम चुनी जाती है और उसी के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था. इस सकारात्मक सार्वजनिक गतिविधियों वाले कार्यक्रम को सामान्यतः राजनीतिक ध्यान प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी वार्षिक अभियान माना गया हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस की थीम

विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक थीम तैयार की जाती है और उसके मुताबिक ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2021 के लिए 'इकोसिस्टमरीस्टोरेशन (Ecosystem Restoration)' हैं. इस चुनी गई टीम का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना.

इकोसिस्टमरीस्टोरेशन कैसे संभव है? (Theme Achievement)

प्रतिदिन पेड़-पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके, नदियों को प्रदूषण मुक्त करके, साफ-सफाई रख कर, सरकार द्वारा पर्यावरण बचाव से संबंधित गाइडलाइन को फॉलो करके व प्रदूषण को अपने स्तर पर रोकने के प्रयास से हम अवश्य ही अपने इकोसिस्टम को दोबारा से Restore कर सकते हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस पर हम क्या करते हैं?

विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के शोषण को रोक कर एक स्वच्छ व सफल पर्यावरण का निर्माण करना हैं. इसके लिए पर्यावरण दिवस के दिन लोग एकजुट होकर अपनी प्रमुख वातावरणीय समस्याओं को सुलझाने का संकल्प लेते हैं व पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं.

आने वाले जीवन व भविष्य को खूबसूरत रंगों से भर देने के लिए इस पर्यावरण को साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए पूरी दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय संगठन साथ आते हैं व समस्याओं पर चर्चा करते हैं. स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों में भी पर्यावरण दिवस पर लोगों में पर्यावरण के प्रति जोश और उमंग भरने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. अत्यधिक पेड़ लगाने और साफ-सफाई जैसे सामान्य कार्य को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ

विश्व पर्यावरण दिवस पर अनेक प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. इनमें निबंध लेखन, भाषण, नाटक, पैराग्राफ लेखन प्रमुख है. स्कूलों में बच्चों को इस पर रोचक कर दिए जाते हैं जिनसे उनमें प्रकृति के प्रति चेतना बढ़े. इसके साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित प्रतियोगिताएं, सड़क रैलियां, चित्रकला की प्रतियोगिताएं, रीसाइक्लिंग पहल पर्यावरण को कैसे बचाएं पर प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं.इसके अलावा अपने पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा रखकर हम इसे और स्वस्थ बना सकते हैं इस पर न्यूज़ में बताया जाता है.
इस प्रकार हमारा ग्रह इस प्रदूषण के चलते बेहाल हो रहा है इस पर भी लोगों का ध्यान खींचा जाता है वह इस समस्या के हल पर चिंतन किया जाता है. इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की जाती है जिसमें मानव अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकता है इस पर विस्तार में विवरण दिया रहता है.

विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाने के उपाय

प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाना हमारा तभी सफल हो पाएगा जब हमारे पर्यावरण पर ऐसा कोई भी श्राप ना रहे जिससे कि वह विनाश की ओर बढ़े. इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करना पड़ेगा. यह हमारी पृथ्वी है और इसे हमें ही इसे बचाना है. तो यह हम पर और आप पर ही निर्भर करता है कि हम इससे किस तरह से पेश आते हैं.

पर्यावरण को बचाने के उपाय

1- ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का संकल्प करें.

2- अपने आसपास साफ सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने.

3- प्लास्टिक को ना कहें. प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने का प्रयास करें.

4- AC का उपयोग कम से कम करें क्योंकि इससे हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है.

5- ज्यादा से ज्यादा वाहन के इस्तेमाल को रोके. पैदल चलने की आदत डालें.

6- नदियों में कूड़ा-कचरा ना फेंके. गंगा हमारी माता है तो उनमें कृपा करके फूल चढ़ावा चढ़ा कर श्रद्धा व्यक्त ना करें.

7- मांस, मुर्गा व जंगली जानवरों का सेवन बिल्कुल भी ना करें.

8- गाय हमारी माता है और एक बहुत ही पवित्र पशु है तो गौ हत्या का विरोध करें.

9- ना गंदगी फैलाएं और दूसरों को भी गंदगी फैलाने से रोके.

10- जल को प्रदूषित ना करें. बारिश के जल को भी संरक्षित करने का प्रयास करें.

निष्कर्ष

पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है और यदि प्रत्येक देश स्वस्थ है तो पूरी पृथ्वी ही स्वस्थ है. इसलिए आज इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पर हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी तरफ से पर्यावरण रक्षा करें और लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करें इसी में हम सब की भलाई है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

जनभाषा में इंसाफ – राजभाषा की दृष्टि से

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि मुझे अपने देश में न्याय पाने के लिए भी अंग्रेजी की मदद लेनी पड़े. लेकिन उनके समर्थन से बने प्रधानमंत्री उन्हीं का नाम लेकर बनी सरकार के नेतृत्व और लंबे शासन के बावजूद राष्ट्रपिता के विचारों को ताक पर रख दिया गया और न्यायपालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित किया गया. भारत का संविधान लागू होने के पश्चात से ही समय-समय पर समाज के विभिन्न तबकों से यह मांग उठती रही है कि निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी भारतीय भाषाओं में न्याय का प्रावधान किया जाए. लेकिन यह कहना अनुचित न होगा कि जनतंत्र और जन-अपेक्षाओं के बावजूद तत्कालीन सरकारों और न्यायपालिका द्वारा इस मामले को हमेशा दबाया जाता रहा.

संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा. इसके अनुरूप भी प्रारंभ से जनभाषा में न्याय की माँग की जाती रही है. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में माँग किए जाने पर भी उनके राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों में उस राज्य की भाषा में न्याय का मार्ग नहीं खुल सका. इन राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है. लेकिन ऐसी माँगों के बावजूद हर स्तर पर जनता की जनभाषा में न्याय की माँग की विभिन्न स्तरों पर उपेक्षा होती रही. ऐसा भी नहीं है कि अन्य किसी राज्य ने अपने उच्च न्यायालय में राज्य की जनभाषा में न्याय की मांग न की हो. लेकिन फिर भी तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल जैसे कई राज्यों द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजे गए प्रस्ताव के बावजूद राष्ट्रपति जी की अनुमति नहीं मिल सकी.

कारण यह कि संवैधानिक उपबंधों के बावजूद तत्कालीन सरकार द्वारा 1965 के मंत्रिमंडल के निर्णय से इस मामले में उच्चतम न्यायालय की सहमति लेना आवश्यक कर दिया गया. सब समझते हैं कि न्यायपालिका पर अंग्रेजी हावी है. इसलिए जब यह मामला उच्चतम न्यायालय की सहमति के लिए गया तो उसने सहमति नहीं दी. यानी एक मंत्रिमंडलीय निर्णय के माध्यम से जनभाषा में न्याय के मार्ग को बाधित कर दिया गया. यानी एक मंत्रिमंडलीय निर्णय के माध्यम से चालाकीपूर्ण ढ़ंग से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को और जनभाषा में न्याय के मार्ग को बाधित कर दिया गया.

जनभाषा में न्याय को लेकर विभिन्न राज्यों में राज्य की भाषा को लेकर और हिंदी के प्रयोग को लेकर समय-समय पर छोटी-बड़ी आवाजें उठती रही हैं, हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को लेकर कार्य कर रहे अनेक विद्वान, पत्रकार, राजनेता, भाषा-सेवी, समाजसेवक, जागरूक अधिवक्ता और भारतीय भाषाओं से जुड़ी संस्थाओं द्वारा इस संबंध में माँग की जाती रही है. निचली अदालतों में तो कमोबेश राज्यों की राजभाषा का प्रयोग होने लगा, हालाँकि वहाँ भी अंग्रेजी समर्थकों व नौकरशाहों द्वारा अनेक अड़ंगे लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश इन राज्यों से अलग हुए राज्यों, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जहाँ इन राज्यों की भाषा के अनुरूप हिंदी उच्च न्यायालयों की

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

भाषा होनी चाहिए थी, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ. अंग्रेजी का शिकंजा इतना मजबूत कि न्यायतंत्र के नक्कारखाने में भारतीय भाषाओं की माँग तूती की आवाज बन कर रह गई है.

लेकिन पिछले कुछ समय से फिर जनभाषा में न्याय की माँग ने तूल पकड़ा है. आजादी के अमृत महोत्सव में न्यातंत्र में अंग्रेजी के एकाधिकार से आजादी का माँग पर बहस होने लगी है. कई भारतीय-भाषा प्रेमी अधिवक्ता आए दिन विभिन्न अदालतों में जनभाषा में अपने वादियों के मुकदमों के साथ-साथ जनभाषा में न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं. कई समाजसेवी और भारतीय भाषा – प्रेमी भी अदालतों की फटकार और जुर्माने आदि का सामना करते हुए जनभाषा में न्याय के सेनानी के रूप में संघर्ष करते रहे हैं. विचार गोष्ठियों व परिचर्चाओं आदि में यह एक प्रमुख मुद्दा बन कर उभरा है. 'वैश्विक हिंदी सम्मेलन' द्वारा 9 अप्रैल – 2022 को मुंबई में मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति मा. राजन कोचर जी की अध्यक्षता में जनभाषा में न्याय विषय पर आयोजित संगोष्ठी, जिसमें इलाहबाद, पटना, चंडीगढ़ तथा मुंबई उच्च न्यायलयों के अधिवक्ता तथा ऐसे मुकदमे लड़नेवाले समाजसेवी वक्तों ने अपनी माँग रखी. जनभाषा में न्याय की माँग की गूंज देशभर में गूंजी. और उसके बाद ऐसा हुआ जो स्वाधीनता के पश्चात कभी न हुआ था. 30 अप्रैल 2022 को ही नई दिल्ली में भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमण ने जनभाषा में न्याय की पैरवी कर दी. और फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी न्याय के लिए जनभाषा में न्याय को आवश्यक बताते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए. यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था.

अब प्रश्न यह उठता है कि जनभाषा में न्याय की राह क्या हो. इसे कैसे किया जाए? संविधान और विधि से लेकर न्यायतंत्र में जहाँ पचहत्तर वर्षों से अंग्रेजी का साम्राज्य है. लगभग समग्र न्यायप्रणाली और व्यवस्था अंग्रेजी में व्याप्त हैं, वहाँ जनभाषा का सूर्य कैसे उगे. इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मा. राजन कोचर का कहना है कि जनभाषा में न्याय की बात तो अच्छी है. भारत के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायधीश जी द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद निश्चय ही महत्वपूर्ण है. इससे रास्ता खोलने की बात तो हुई है. लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि यह कार्य कैसे किया जाए? वर्तमान व्यवस्था को बदल कर नई व्यवस्था कैले बनाई जाए? वे आगे कहते हैं, 'ऐसा संभव नहीं है कि सरकार आज कोई कानून बना दे और कल से अपनी भाषाओं में न्याय मिलने लगे. इसके लिए विवेकपूर्ण ढंग से विचार करते हुए रास्ता बनाना पड़ेगा. विधि की शिक्षा से ले कर कानूनों और निर्णयों, संदर्भ-ग्रंथों की उपलब्धता के साथ-साथ न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि तक विभिन्न बिंदुओं पर विचार करके निर्णय लेने होंगे.'

'न्यायपालिका में भारतीय भाषाएँ' विषय पर केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आयोजित ई-संगोष्ठी में पूर्व राज्यपाल तथा राजस्थान उच्च न्यायलय के पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा कि यदि सरकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ शासन-प्रशासन के कामकाज में हिंदी भाषा अख्तियार कर ले तो हिंदी सहज तौर पर न्याय की भाषा भी बन

जाएगी. अगर शासन-प्रशासन में अंग्रेजी चले और न्यायपालिका में जनभाषा की बात हो तो यह कैसे संभव होगा. उनहोंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालयों में तो बहुत कम न्यायधीश जाते हैं. पदोन्नति पर न्यायधीशों का राज्य बदलने की परंपरा तो पहले नहीं थी, यदि कोई व्यक्ति उसी राज्य में निचली अदालत से उच्च न्यायालय में न्यायधीश बन कर आता है तो भाषा संबंधी कोई कठिनाई नहीं होगी. इसी संगोष्ठी में उपस्थित बार कोंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं को न्यायालयों व अन्य प्रशासनिक कामों में वह जगह न मिलने को विडंबनापूर्ण और कहा कि इसके लिए सभी मोर्चों पर सभी को मिलजुलकर रणनीति बनानी होगी.

तमाम विचारों, सुझावों व समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनभाषा में न्याय के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है:

1. न्याय की भाषा अथवा भाषाएँ
2. संघ व राज्य की राजभाषाओं में विधि-निर्माण.
3. संघ व राज्य की राजभाषाओं में विधि शिक्षा.
4. संघ व राज्य की राजभाषाओं में विधि व पूर्व निर्णयों का अनुवाद.
5. न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया तथा पदोन्नति व तैनाती.
6. शासन-प्रशासन के कार्य की भाषा.
7. अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों की प्रशिक्षण व्यवस्था.

1. न्याय की भाषा अथवा भाषाएँ.

(i) जनभाषा अथवा भारतीय भाषाओं में न्याय की बात करते समय सर्वप्रथम प्रश्न तो यह है कि न्याय के लिए कहाँ किस भाषा का प्रयोग किया जाए इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 350 को आधार बनाया जा सकता है जिसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा.

(ii) इस प्रकार प्रत्येक उच्च न्यायालय में राज्य की राज्य भाषा में (यदि एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दी गई है तो किसी एक प्रमुख भाषा में) तथा संघ में प्रयुक्त हिंदी व अंग्रेजी न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए.

(iii) उच्चतम न्यायालय में संघ की व्यवस्था के अनुसार न्याय-व्यवस्था संघ की राजभाषा हिंदी में और संघ में प्रयुक्त (अघोषित सहराजभाषा) अंग्रेजी में की जानी चाहिए.

(iv) अंग्रेजी का प्रयोग मुख्यत: वादी की सुविधा के लिए नहीं बल्कि शासन–प्रशासन तथा अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की सुविधा के लिए किया जाता रहा है. इसलिए यह उपबंध भी किए जाने की आवश्यकता है कि सुनवाई उस भाषा में ही हो जिसमें वादी अपनी बात सहजता से रख सके. यदि माध्यम का चयन अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की सुविधा पर छोड़ा गया तो जनभाषा में न्याय का सपना साकार न हो सकेगा.

2. **संघ व राज्य की राजभाषाओं में विधि-निर्माण**:-

(i) सपूर्ण न्याय-व्यवस्था संविधान और उसके अंतर्गत संघ व राज्यों में विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से संचालित होती है. इसलिए संघ व राज्य की राजभाषा में न्याय की व्यवस्था के लिए यह उचित होगा कि नवनिर्मित यथास्थिति संघ व राज्य की भाषाओं में अधिसूचित किए जाएँ.

(ii) यह भी उचित होगा कि मूल रूप से कानून यथास्थिति संघ या राज्य की भाषा में पारित किए जाएँ और भारतीय भाषाओं में कानूनी रूप को मान्यता मिले न कि अंग्रेजी रूप को ताकि भारतीय भाषाओं में पारित कानूनों को प्रमाणिकता मिल सके. उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्तरों पर जहाँ भारतीय भाषाओं में कोई आदेश पारित किया जाता है तो साथ ही यह भी लिखा जाता है कि विवाद की स्थिति में अंग्रेजी रूप ही मान्य होगा.

(iii) संघ की भाषा में पारित कानूनों को निर्धारित अवधि में राज्यों की भाषाओं में तथा राज्यों में पारित कानूनों को निर्धारित अवधि में संघ की भाषाओं में अनुदित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए.

(iv) उपर्युक्त कानूनों को आवश्कतानुसार यथाशीघ्र द्विभाषी त्रिभाषी रूप में प्रकाशित करके या करवा कर अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा जनसाधारण को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.

(v) जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कानून जनता की भाषा में कानूनी भाषा के साथ-साथ जनसामान्य को समझ में आनेवाली सरल भाषा में भी उपलब्ध करवाए जाएँ जिसे सामान्य नागरिक कानूनों को सरलता से समझ सकें.

(vi) राज्य सरकार के विधि मंत्रालय की वैबसाइट पर ये सभी त्रिभाषा रूप में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए.

3. **राज्य व संघ व की भाषाओं में विधि शिक्षा:-**

(i) सबसे महत्वपूर्ण है विधि की शिक्षा. न्याय के माध्यम के साथ ही विधि-शिक्षा के माध्यम को भी प्राथमिक रूप से राज्य की राजभाषा में और उसके साथ-साथ त्रिभाषा सूत्र के रूप में संघ में प्रयक्त की जानेवाली भाषाओं में दिए जाने की

व्यवस्था की जानी चाहिए.

(ii) इसके लिए यह भी उचित होगा कि पाठ्य-सामग्री भी त्रिभाषी रूप में उपलब्ध हो.

(iii) विधि-शिक्षा की वैबसाइट पर ये सभी राज्य तथा संघ प्रयुक्त भाषाओं में यानी त्रिभाषा रूप में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए.

4. संघ व राज्य की राजभाषाओं में विधि व पूर्व-निर्णयों का अनुवाद:-

(i) नई बनाए जानेवाली विधि के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पूर्व में बनाई गई विधि का भी अविलंब राज्य व संघ की भाषा में अनुवाद सुनिश्चित किया जाए.

(ii) उल्लेखनीय है कि पूरी न्याय व्यवस्था विधि और पूर्वनिर्णयों के आधार पर आगे बढ़ती है. इसलिए यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा महत्वपूर्ण निर्णयों का भी इसी प्रकार अनुवाद करवा कर उपलब्ध करवाया जाए.

(iii) विधि साहित्य के अनुवाद के लिए संघ के विधायी आयोग की तर्ज पर राज्यों में भी संस्थाएँ गठित की जा सकती हैं, जिनमें उन भाषाओं में पारंगत सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की सेवाएँ तथा अनुवाद संबंधी आधुनिक अद्यतन उच्चस्तरीय सॉफ्टवेयरों की भी मदद ली जा सकती है.

5. न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया तथा पदोन्नति व तैनाती प्रणाली:-

(i) यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्कता है कि लंबे समय तक अपवादों को छोड़ कर राज्य उच्च न्यायालयों में राज्यों की निचले न्यायालयों से पदोन्नत न्यायाधीशों की ही नियुक्ति होती रही है. इनमें से बहुत कम ही उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते हैं. इस व्यवस्था में राज्य के अधिवक्ता और उनमें से बने न्यायाधीश आसानी से उच्च न्यायालय तक में राज्य की भाषा में न्याय कर सकते हैं.

(ii) लेकिन सभी स्तरों पर राज्य व संघ की भाषा में न्याय मिल सके इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य न्यायिक सेवा आयोग व संघीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए. आई.ए.एस, आई.पी.एस. की भांति न्यायमूर्तियों के लिए न्यायिक भाषा के ज्ञान की परीक्षा व न्यायिक भाषा-प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए. सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की भर्ती, नियुक्ति व तैनाती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस – प्रशासन की (IAS/IPS) की तरह संवर्ग व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित करते हुए, संघ न राज्य में न्याय के लिए शिक्षित- प्रशिक्षित किया जा सकेगा.

(iii) जब अधिवक्ताओं और न्यायाधिशों को प्रारंभ से ही ज्ञात होगा कि उन्हें न्याय-प्रक्रिया के लिए-किन भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता होगी तो वे प्रारंभ से ही इसके लिए तैयार हो सकेंगे.

6. **शासन-प्रशासन के कार्य की भाषा:-**

(i) न्याय प्रक्रिया में तथ्यों के आधार साक्ष्य के रूप में होते हैं. सरकारी दस्तावेज, सरकारी निर्णय, आदेश-निर्देश, रिपोर्ट-विवरण व टिप्पणियाँ आदि अथवा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी व आगामी कार्रवाई, यदि ये जनभाषा में न होंगी तो जनभाषा के रथ का पहिया कैसे आगे बढ़ेगा ? इसलिए यह भी आवश्यक है कि सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए शासन-प्रशासन में यथास्थिति संध अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों – कानूनों व व्यवस्था में आवश्यक सुधार तकते हुए राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए.

7. **अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की व्यवस्था:-**

(i) न्यायिक व्यवस्था को जनभाषा में लाने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन तो करना ही होगा लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जो अधिवक्ता और न्यायाधीश हैं उनकी सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायिक अकादमियों अथवा विधि मंत्रालय के माध्यम से गठित प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्हें जनभाषा में न्याय के लिए तैयार किया जा सकता है.

(ii) आवश्यकता सब सिखा देती है, जब व्यवस्था बदलेगी तो कुछ ही समय में सब तैयार हो जाएगा. जब माध्यम बदलेगा तो उसके अनुसार पाठ्य – पुस्तकें, शिक्षण संस्थान आदि पीछे-पीछे चले आएँगे. माँग-पूर्ति का सिद्धांत अपना काम करेगा.

जनभाषा में न्याय की व्यवस्था के लिए आयोग का गठन

उपर्युक्त सभी बिंदुओं और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अन्य बिंदुओं पर सूक्ष्मता से विचार कर अपनी संस्तुति देने के लिए आवश्यक है कि जनभाषा में न्याय की व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमण, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिन्होंने जनभाषा में न्याय की बात को देश की आवश्यकता माना, उन्हें या ऐसे किसी अन्य वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है. ऐसे ही सदस्यों के रूप में कुछ जनभाषा में न्याय के समर्थक न्यायमूर्ति, बार कौंसिल के अध्यक्ष, विधि विशेषज्ञ तथा विधि मंत्रालय के अधिकारियों को रखा जा सकता है. आयोग द्वारा विचार से लेकर अपनी संस्तुति देने से ले कर इस पर विचार करते हुए कार्ययोजना बनाने, संविधान व अधिनियम आदि बदलने से ले कर कार्यान्वित करने में भी लंबा समय लगेगा. इसलिए अब यह कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाना चाहिए.

संक्षेप में यही कि जनतंत्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप जनता की भाषा को सम्मान देने के लिए जब सरकारें दृढ़ निश्चय से निर्णय लेंगी तो जनभाषा में न्याय के लिए न्यायिक व्यवस्था बदलने में भी देर न लगेगी. राह में राजनीति, लाभ-लोभ में सने वकीलों व न्यायाधीशों के विरोध आदि अनेक बाधाएँ भी होंगी. इन बाधाओं को प्रबल इच्छाशक्ति से दूर किया जा सकता है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

नकदी-रहित अर्थव्यवस्था

वाक्य के शब्दों में कितना विरोधाभास है, लगता है जैसे जल विहीन नदी की बात हो या बारात बिना दूल्हे की स्थिति हो. पर वास्तविकता यह नही है. कैशलेस अर्थव्यवस्था अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमे नकदी का न्यूनतम प्रयोग हो. सफल कैशलेस इकॉनमी प्रमाणिक एवं जांचा-परखा एक सच है. विकसित राष्ट्रों के विकास का यह प्रमुख मापदंड है. स्वीडेन की अर्थव्यवस्था 97% कैशलेस है अर्थात स्वीडेन में 100 क्रोना के लेनदेन के लिए मात्र 3 क्रोना नकदी का प्रयोग होता है. बेल्जियम की अर्थव्यवस्था 93% , फ्रांस की 92% , कनाडा की 90% , ब्रिटेन की 89% तथा अमेरिका की 80% कैशलेस है जबकि भारत में यह मात्र 5% है. स्पष्ट है कि भारत में इसके विस्तार की प्रबल आवश्यकता है. कैसलेस इकॉनमी में चोरियाँ एवं भ्रष्टाचार की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है.

आईये देखें कैशलेस अर्थव्यवस्था परिचालित कैसे होती है. इस व्यवस्था में कैश आधारित प्रणाली को डिजिटल पेमेंट मोड पर लाया जाता है. डिजिटल अर्थात अंक आधारित (पिन) इलेक्ट्रानिक भुगतान पद्धति जिसमें क्रेडिट काड्र्स , डेबिट काड्र्स, मोबाइल अथवा औटोमटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से किए गए भुगतान आते हैं.

भारत में आज 26 करोड़ लोग क्रेडिट काड्र्स , 66 करोड़ लोग डेबिट काड्र्स और लगभग 100 करोड़ लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं , यह संख्या निरंतर बढ़ रही है. यदि लोगो को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और लोग इस वैकल्पिक व्यवस्था जो सरल , सुगम एवं जोखिम रहित है , का अधिकतम उपयोग करें तो कैशलेस इकॉनमी का स्वप्न भारत में भी साकार हो सकता है और हम भी विकास की एक पादान प्राप्त कर लेंगे.

आज हमारे पास निम्न डिजिटल पेमेंट मोड उपलब्ध हैं -

1॰ क्रेडिट / डेबिट / प्री-पेड/ रू-पे काड्र्स एवं पी ओ एस मशीने

छोटे सुविधाजनक प्लास्टिक के काड्र्स जिनके माध्यम से आप गोपनीय डिजिटल पिन का प्रयोग कर के निर्धारित सीमा तक छोटे- बड़े सभी भुगतान कर सकते हैं. व्यापारियों द्वारा इन्हे पी ओ एस मशीनों मे स्वाप कर के भुगतान प्राप्त किया जाता है अर्थात यह दोनों के लिए नकदी रहित लेनदेन का सुगम माध्यम है.

2.इलेक्ट्रानिक बटुआ

यह समान्यतः ई-वैलेट के नाम से प्रचलित है जिसमे आप अपने क्रेडिट काड्र्स एवं खाते का नंबर सुरक्षित रखते हैं , लेनदेन के समय न तो काड्र्स की भौतिक आवश्यकता होती है और न ही आपको इनके नंबर याद रखने की विवशता है. मात्र अपने मोबाइल के माध्यम से आप छोटे लेनदेन कर सकते हैं. एक माह में अधिकतम रु0 20000 तक भुगतान किया जा सकता है. पे-टीएम एवं स्टेट बैंक ई-बडी इसके कुछ उदाहरण हैं.

3 °आधार आधारित भुगतान व्यवस्था

आधार संख्या को ही पहचान बना कर खाते में परिचालन किया जाता है. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया आधार संख्या से ही गैस सब्सिडि अथवा सरकारी अनुदान इत्यादि आधार एनेब्लेड खातों में जमा करती है.

4° यूपीआई

एस एम एस की तरह आसान स्मार्ट फोन के माध्यम से आप अंतर –बैंक निधि स्थानांतरण कर सकते हैं. इसके लिए डेबिट कार्ड का होना आवश्यक है. यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध है.

5° यूएसएसडी

रु० 5000/- तक के छोटे लेनदेन किसी भी मोबाइल फोन से *99# डायल कर के किया जा सकता है. इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नही मात्र आधार संख्या अथवा बैंक के आईएफ़एससी कोड चाहिये. इस पर सेवा प्रभार देय है. यह सेवा भी चौबीसो घंटे उपलब्ध है.

6. मोबाइल बैंकिंग

लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को यह सुविधा उलब्ध करायी है इसके लिए आवश्यक है कि ग्राहक के मोबाइल नंबर की फीडिंग उसके खाते में हो. इससे आप निधि अंतरण के अलावा फोन रीचार्ज , बिजली बिल भुगतान एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं.

7. आरटीजीएस एवं एनइएफटी

यह सुविधा नित्य 4.30 साय तक बैंकों में उपलब्ध है. इससे किसी भी राशि तक की निधि का अंतरण किसी भी बैंक खाते मे किया जा सकता है. यह सुविधा सशुल्क है.

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आज उपभोक्ताओं के साथ –साथ व्यापारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न छूट एवं उपहार दे रही है, उनमें से कुछ निम्नवत हैं –

1. क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पर मरचेंट डिस्काउंट का भुगतान बैंकों को सरकार द्वारा किया जाएगा.
2. विभिन्न 11 सेवाओं में यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो डिस्काउंट उपलब्ध है – जीवन बीमा की किश्त पर 8%, जनरल इन्शुरेंस पर 10%, रेल टिकिट पर 0.50%, पेट्रोलपम्प पर 0.75%, टोल प्लाज़ा पर 10%, रेल कैंटीन मैं 5% तथा रु0 2000/- तक के छोटे लेनदेन पर कोई सेवा प्रभार नही.

सच है कैशलेस बनिये सुरक्षित रहिये.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज का ग्रामीण जनजीवन और परिवेश

आज का ग्रामीण समाज और कल का बीता हुआ ग्रामीण समाज दोनों की परिभाषा की जाए तो बहुत ही अंतर होगा इन दोनों की परिभाषाये एक दूसरे से मिली जुली हो सकती है परन्तु एक जैसी नहीं भारत कृषि प्रधान देश है गांवो का देश है लेकिन क्या किसान जीवित है गांव जीवित है शायद नहीं जो गांव हम चाहते है वो नहीं लोगो के बोलने का अंदाज वो मीठी बोली, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति प्रेम अब गांवों भी कम ही देखने को मिलता है. लेकिन श्रम का महत्व तो आज भी गांवो में ही देखने को मिलता है श्रम की अपार सीमा वही देखने को मिलती है. आज विलासिता भरा जीवन और सारी सुख सुविधा पाने की इच्छा ने लोगो को केवल आत्मकेंद्रित कर दिया है, वह स्वार्थी होता जा रहा है. शहर की बात ही छोड़ दे वो तो फ़ास्ट ट्रैक या बिजी लाइफ कहकर अपने आप को बचा लेता है लेकिन आज के ग्रामीण जीवन में भी ये बातें दिखायी देने लगी है. जब पहले घर में मेहमान आते थे तो भले ही गुड़ और शरबत से उसका स्वागत किया जाता था लेकिन मन में उसके प्रति आदर और प्रेम अपार ख़ुशी लोगो के चेहरे से झलकती थी परन्तु आज गांवों में भी लोगो के मन में प्यार और आदर भावना कम होती जा रही है.

मेरा अनुभव यही कहता है कि ये सब पहले न था परन्तु आज हालात कुछ और है. गांव अब शहरो में तब्दील होते जा रहे है खेतो की परम्परा नष्ट होती जा रही है, लोग अपने खेत किराए पर दे रहे है. किसान घर बैठकर बस किराए के भरोसे बैठा रहता है, गांव शहर की ओर बढ़ रहा है और गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे है, इसका क्या कारण हो सकता है ? मन में ठसक सी लगती है कि हमारी पहचान कृषि और खेतों लहलहाते फसलों से है. हमारी प्रकृति से है लेकिन ये सब धीरे- धीरे नष्ट होता जा रहा है.

ग्रामीण जीवन और परिवेश भी बदलता जा रहा है, उसका रूप भी बदलता जा रहा है. सिक्के के हमेशा दो पहलु होते है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक. लेकिन केवल सकारात्मक पर विचार करें तो भारत विकसित हो रहा है, नए युग की ओर बढ़ रहा है विकसित देशों की बराबरी कर रहा है. यह सब सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलु भी है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्यूंकि उन पहलुओ में भारत की वह तस्वीर है जो सच्चाइयां उजागर करती है. वह तस्वीर आज के समाज की, लोगो की और आज के परिवेश की है. भारत में महानगरों को शिखर की ओर ले जाने वाला कहीं न कहीं भारत का गांव है. लेकिन उसे नजर अंदाज कर दिया जा रहा है, किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और वो आत्महत्या तक कर रहा है लेकिन इसका जिम्मेदार कौन ? शायद पूरी व्यवस्था. इन्ही सब कारणो से लोगो का लगाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म होता जा रहा है. ये बड़ी दयनीय और विचारणीय स्थिति है , गांवों से संस्कृति और हमारे भारतीय होने की पहचान मिलती है. ये सत्य है, कि हम अपनी पहचान धीरे–धीरे खो रहे है. कहते है सुख और चैन केवल गांवों में है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

लेकिन क्या सच में आज भी गांवों में पहले जैसा सुख और चैन है ? वहां का वातावरण कल की तरह स्वच्छ है अगर सही कहूँ तो नहीं क्यूंकि वातावरण तो गांवो का भी प्रदूषित हो चुका है और सुख की नींद शायद ही अब गांव के लोगो को आती है. लेकिन क्या सच में वहां के लोगो को भी वही अनुभूति होती है ? जो हमें होती है. वहां जाकर जब हमें ही नहीं होती तो वे तो उसी परिवेश में रहते है तो उनकी क्या मनस्थिति होती होगी इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है. क्यों आज गांव में वो बात नहीं जो पहले थी अच्छी बात है आज गांवों की लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. लेकिन आज भी वहां ऊँच–नीच, छुआछूत है और मैंने देखा है, महसूस किया है इनके इन बुराइयों की जड़ों को कैसे नष्ट किया जाए और आज गांवों के लोगो में नकारात्मक सोच ने गहरा प्रभाव कर लिया. दहेज़ प्रथा कहीं न कहीं इन्हे आज भी सताती है. आज भी पर्दा प्रथा है, खत्म नहीं हुई है. ये सारे दोष है और जो गुण थे वो ख़त्म होते जा रहे है और दोष जो थे वो न कम हुए और न ही ख़त्म हो रहे है.

हमें भारत को बचाना है तो गांवों को बचाना होगा उनकी तरक्की भी जरुरी है लेकिन उनके वास्तिविक रूप को मिटाकर नहीं तरक्की उनके असलियत के साथ उनके यथार्थ को उसी रूप में बनाये रखने के साथ क्यूंकि ये तरक्की कहिं न कहिं हमें विफलताओ का दर्शन करा सकती है. भारत की एकता को हमे बनाये रखना है हमें अपने अस्तिव को बनाये रखना है इसके लिए जरुरी है हम ग्रामीण संस्कृतयो और सभ्यताओ को अधिक से अधिक महत्तव दे और उनके बारे में थोड़ा विचार करे या उनके द्वारा हम अपना ही विचार कहीं न कहीं करेंगे.

सरकार की कई सारी योजनाये है, लेकिन क्या सच में उनका लाभ गांवों के लोगो को मिलता है कितना संतुष्ट है गांवों के लोग क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा शायद नहीं क्यूंकि हम आधुनिक युग के है न तो शायद फ़ास्ट ट्रैक लाइफ में समय ही नहीं मिला होगा. लेकिन अब हमें समय निकालना होगा गांवों की बुराइयों को मिटाना होगा हमें उनका साथी बनकर उनकी मदद करनी होगी. सरकार को और सजग होना होगा और हमें उन लोगो को जागरूक बनाना होगा तभी जाकर हमारा और आपका सपना साकार और सच या कह ले सार्थक होगा.

गांवो की भाषा परिवेश का समाज हमें इन सभी मुद्दो पर मिलकर एक साथ काम करना होगा. अपने भारत की रौनक को बनाये रखना होगा क्यूंकि हमारी रौनक हमारे समाज और हमारे देश के गौरव में है. और हमारे देश का गौरव हमारी संस्कृति से है और हमारी संस्कृति गावो में निवास करती है. हमें अपनी संस्कृति को एक सुन्दर और सफलता से परिपूर्ण माहौल देना होगा जो गांवों को आगे ले जाने से और हमारे जागरूक होने से साथ ही व्यवस्था को बदलकर नयी व्यवस्था की मांग के साथ सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके होगा तथा हमे अपने आप को सोने की चिड़िया फिर बनाना है और यह तभी सम्भव होगा जब पहले हम सोने के हो जाए.

हमारी संस्कृति हमारी पहचान हमारा गौरव है. हमें अपने गौरव को बनाये रखना है और हमें उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होगा एक सकारात्मक सोच के साथ उम्मीद की नयी किरण के साथ.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

आउटरीच कार्यक्रम

दिनाँक 27/05/2022 को क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद की वालुज शाखा के अंतर्गत लिम्बे जलगांव ग्राम पंचायत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऐंकर माह में हमारे क्षेत्र के गार्डियन महाप्रबंधक (रिटेल) श्री विवेक कुमार ने शिविर में किसान, ग्राहक और संभावित ग्राहक को संबोधित किया तथा ऋण ग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किए.

आज़ादी का अमृत महोत्सव
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता

आजादी का अमृत महोत्सव - आईकॉनिक वीक में दिनांक 09 जून, 2022 को औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत खण्डाला शाखा के न्यू स्कूल खण्डाला में आजादी का अमृत महोत्सव पर क्वीज एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन हुआ जिसमे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया. पुरस्कार समारोह में औरंगाबाद क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक श्री बैजनाथ प्रसाद, शाखा प्रधान खण्डाला-श्री मिथिलेश कुमार, स्कूल प्रधान, शिक्षक, ग्राम पंचायत सरपंच और अन्य लोग उपस्थित हुए.

आज़ादी का अमृत महोत्सव
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

वृक्षारोपण कार्यक्रम

आजादी का अमृत महोत्सव - आईकॉनिक वीक में दिनांक 28/06/2022 को क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद द्वारा बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय, औरंगाबाद परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुल 75 पौधे लगाए गए. इस मौके पर क्षेत्रीय प्रमुख श्री मनोज सिंह एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

"8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस"

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत "8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर दिनांक 21 जून,2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, पुणे के सभागार में, आंचलिक कार्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए "योग दिवस" का आयोजन किया गया. पुणे अंचल के फील्ड महाप्रबंधक श्री बी बी मुटरेजा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

नए जेनरेशन के एटीएम का शुभारंभ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैंप शाखा के नए जेनरेशन के एटीएम का शुभारंभ बैंक के **कार्यपालक निदेशक माननीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी** के करकमलों से संपन्न हुआ. अपने पुणे प्रवास में कार्यपालक निदेशक ने बैंक के ग्राहकों से मुलाकात की तथा बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की. एक अन्य आयोजन में कार्यपालक निदेशक ने विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पुणे अंचल के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए जून 2022 के निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यों को पूरा करने का आव्हान किया. इस मौके पर पुणे अंचल के अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा एवं पुणे क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय प्रमुख सुश्री आशा कोटस्थाने की उल्लेखनीय उपस्थिति रही.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विविध गतिविधियां

राजभाषा प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान

हमारे बैंक के ***कार्यपालक निदेशक माननीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी*** द्वारा अपने पुणे प्रवास दिनांक 24.06.2022 के दौरान पुणे **अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा** और **मुख्य प्रबंधक-राजभाषा श्री राजीव तिवारी** को भारत सरकार द्वारा जारी प्रशस्ति प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया. ज्ञातव्य हो कि *कंठस्थ* प्रतियोगिता में उत्कृष्टता हेतु भारत सरकार राजभाषा विभाग के सचिव श्री ए आर्या के हस्ताक्षर से उक्त प्रमाणपत्र अप्रैल 2022 में जारी किये गए थे.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

खुशवंत सिंह द्वारा वर्णित ज़िंदगी के दस सूत्र

- ***अच्छा स्वास्थ्य*** - अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते. बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियां छीन लेती हैं.

- ***ठीक ठाक बैंक बैलेंस*** - अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए 55 साल तक काम करना चाहिए और बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं. पर इतना पैसा बैंक में हो कि आप आप जब चाहे बाहर खाना खा पाएं, सिनेमा देख पाएं, समंदर और पहाड़ घूमने जा पाएं, तो आप खुश रह सकते हैं. उधारी में जीना आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है.

- ***अपना मकान*** - मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका अपना होना चाहिए. अगर उसमें छोटा सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है.

- ***समझदार जीवन साथी*** - जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक-दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है, वर्ना ज़िंदगी में सबकुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी खुशियां काफूर हो जाती हैं. हर वक्त कुढ़ते रहने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना.

- ***दूसरों की उपलब्धियों से न जलना*** - कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए, तो उससे जले नहीं. दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां खत्म होने लगती हैं.

- ***गप से बचना*** - लोगों को गपशप के ज़रिए अपने पर हावी मत होने दीजिए. जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली-निंदा से आपके दिमाग में कहीं न कहीं ज़हर भर चुका होगा.

- ***अच्छी आदत*** - कोई न कोई ऐसी हॉबी विकसित करें, जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, मसलन गार्डेनिंग, पढ़ना, लिखना. फालतु बातों में समय बर्बाद करना ज़िंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है. कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदत में शुमार करके नियमित रूप से करें.

- ***ध्यान*** - रोज सुबह कम से कम दस मिनट ध्यान करना चाहिए. ये दस मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए. इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारें. इस तरह आप खुद को जान पाएंगे.

- ***क्रोध से बचना*** - कभी अपना गुस्सा ज़ाहिर न करें. जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तल्ख हो रहा है, तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके कि वहीं उसका हिसाब-किताब करने पर आमदा हो जाएं.

- ***अंतिम समय*** - जब यमराज दस्तक दें, तो बिना किसी दुख, शोक या अफसोस के साथ उनके साथ निकल पड़ना चाहिए अंतिम यात्रा पर, खुशी-खुशी. शोक, मोह के बंधन से मुक्त हो कर जो यहां से निकलता है, उसी का जीवन सफल होता है.

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

मेरा स्कूल – एक कविता

ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना

कमीज के बटन ऊपर नीचे लगाना
वो अपने बाल खुद न काढ पाना
पी टी शूज को चाक से चमकाना
वो काले जूतों को पैंट से पोछते जाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो बड़े नाखुनो को दांतों से चबाना
और लेट आने पे मैदान का चक्कर लगाना
वो प्रेयर के समय क्लास में ही रुक जाना
पकडे जाने पे पेट दर्द का बहाना बनाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो टिन के डिब्बे को फ़ुटबाल बनाना
ठोकर मार मार उसे घर तक ले जाना
साथी के बैठने से पहले बेंच सरकाना
और उसके गिरने पे जोर से खिलखिलाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

गुस्से में एक-दूसरे की कमीज पे स्याही छिड़काना
वो लीक करते पेन को बालो से पोछते जाना
बाथरूम में सुतली बम पे अगरबती लगाकर छुपाना
और उसके फटने पे कितना मासूम बन जाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो गेम्स पीरियड के लिए सर को पटाना
यूनिट टेस्ट को टालने के लिए उनसे गिडगिडाना
जाड़ो में बाहर धूप में क्लास लगवाना
और उनसे घर-परिवार की बातें सुनते जाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो बेर वाली के बेर चुपके से चुराना
लाल–काला चूरन खाकर एक दूसरे को जीभ दिखाना
जलजीरा, इमली देख जमकर लार टपकाना
साथी से आइसक्रीम खिलाने की मिन्नतें करते जाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो लंच से पहले ही टिफ़िन चट कर जाना
अचार की खुशबूं पूरे क्लास में फैलाना
वो पानी पीने में जमकर देर लगाना
बाथरूम में लिखे शब्दों को बार-बार पढके सुनाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो एक्जाम से पहले गुरूजी के चक्कर लगाना
बार–बार बस इंपोर्टण्ट पूछते जाना
वो उनका पूरी किताब में निशान लगवाना
और हमारा पूरे कोर्स को देख चकराना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो फेरवेल पार्टी के दिन पेस्ट्री समोसे खाना
और जूनियर लड़के का ब्रेक डांस दिखाना
वो टाइटल मिलने पे हमारा तिलमिलाना
वो साइंस वाली मैडम पे लट्टू हो जाना
ऐ मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना...

वो मेरे स्कूल का मुझे यहाँ तक पहुचाना
और मेरा खुद में खो उसको भूल जाना
मेरा बाजार में किसी परिचित से टकराना
वो जवान गुरूजी का बूढ़ा चेहरा सामने आना...
तुम सब अपने स्कूल एक बार जरुर जाना.....

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल द्वारा हिन्दी कार्यशाला का सफल आयोजन- एक रिपोर्ट

दिनांक 30.06.2022 को **पुणे और नागपुर ज्ञानार्जन एवं विकास केन्द्रों के माध्यम से गूगल मीट प्लेटफार्म पर** आंचलिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 45 से अधिक कार्मिकों ने उत्साह के साथ सहभागिता की. इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से 'राजभाषा नीति की आवश्यकता और भारतीय संविधान में प्रावधान, राजभाषा संबंधी विविध विवरणियां तैयार करना आंतरिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं जॉच तथा उनका प्रेषण करना तथा अंत में यूनीकोड की उपयोगिता तथा कम्प्यूटर पर हिंदी में टायपिंग करना' जैसे सामयिक विषयों को सम्मिलित किया गया

आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजीव तिवारी द्वारा **राजभाषा नीति की आवश्यकता और भारतीय संविधान में प्रावधान** विषय पर अपने विचार प्रकट किए. इस संबंध में उन्होने आत्मनिर्भर भारत अभियान में डिजिटल संसाधनों के विकास पर प्रकाश डाला तथा यह भी बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विविध सरकारी कार्यक्रमों जैसे दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, शिक्षा वाणी, साईन लैग्वैंज आदि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की पहुंच को सहज और सशक्त किया है.

इसी प्रकार बैंकों में ऑनलाईन/डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किए जाने की सुविधाओं पर चर्चा की गई. बैंक के मोबाईल एप्प के प्रयोग के विषय में भी ज्ञानवर्द्धन किया गया. शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आसान टिप्स दी गई तथा राजभाषा निरीक्षणों के दौरान जांच की जाने वाली विविध मदों पर जानकारी दी गई.

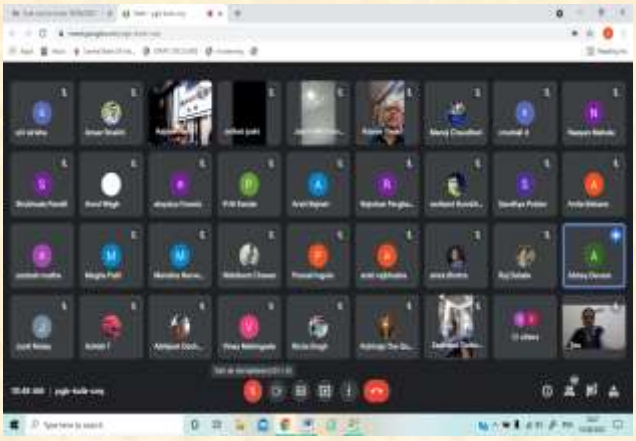

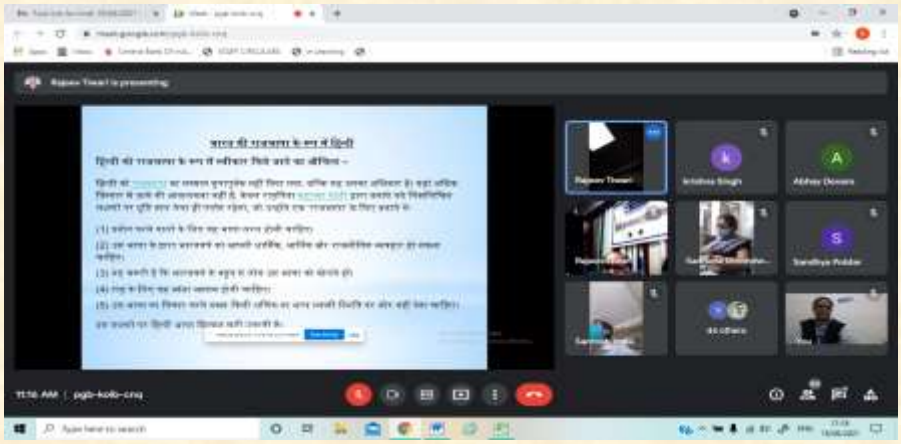

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं	मद		भाषिक क्षेत्र "क"	"ख"	"ग"
1	**हिन्दी में मूल पत्राचार** (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	"क" क्षेत्र से	100%	100%	65%
		"ख" क्षेत्र से	90%	90%	55%
		"ग" क्षेत्र से	55%	55%	55%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना			-- 100% --	
3	हिंदी में टिप्पण		75%	50%	30%
4	हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम		70%	60%	30%
5	हिंदी टंकक, आशुलिपिक की भर्ती		80%	70%	40%
6	हिंदी में डिक्टेशन		65%	55%	30%
7	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%	100%	100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		100%	100%	100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय		50%	50%	50%
10	बैंकों के ऐसे अनुभाग जहां समस्त कार्य हिन्दी में हो		40%	30%	20%
11	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद				-- 100% --
12	बैबसाइट (द्विभाषी)				--100%--
13	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन (द्विभाषी)				-- 100% --
14	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद				-- 100% --
15	विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर एवं मुख्यालय में स्थित अनुभाग/ कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
16	**राजभाषा संबंधी बैठके**	हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)		
		नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
		राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

प्रेस कवरेज.................

सेंट्रल बैंक के कार्यपालक निदेशक (ई डी) ने नए जेनरेशन के एटीएम का किया उदघाटन

(सुनील सोन्हिया की रिपोर्ट)

पुणे। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैंप शाखा के नए जेनरेशन के एटीएम का शुभारंभ बैंक के कार्यपालक निदेशक माननीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी के करकमलों से संपन्न हुआ. अपने पुणे प्रवास में कार्यपालक निदेशक ने बैंक के ग्राहकों से मुलाकात की तथा बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की. ग्राहकों के सुझावों को भी नोट किया गया. कार्यपालक निदेशक महोदय ने आमंत्रित सभी ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे अपने ऋण/उधार खाते मानक श्रेणी में बनाए रखने की वचनबद्धता सुनिश्चित करें. इसके उपरांत पुणे नगर की शाखाओं के प्रमुखों के साथ आयोजित व्यवसाय समीक्षा बैठक में माननीय कार्यपालक निदेशक ने अध्यक्षता की. एक अन्य आयोजन में कार्यपालक निदेशक ने विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पुणे अंचल के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए, जून 2022 के निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यों को पूरा करने का आव्हान किया. इस मौके पर पुणे अंचल के अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा एवं पुणे क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय प्रमुख सुश्री आशा कोटस्थाने की उल्लेखनीय उपस्थिति रही. इस अवसर पर बैंक के कार्यपालक निदेशक माननीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी द्वारा पुणे अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा और मुख्य प्रबंधक राजभाषा को भारत सरकार द्वारा जारी प्रशस्ति प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया. उल्लेखनीय है कि कंठस्थ प्रतियोगिता मे उत्कृष्टता हेतु भारत सरकार राजभाषा विभाग के सचिव श्री ए आर्या के हस्ताक्षर से उक्त प्रमाणपत्र अप्रैल 2022 में जारी किये गए थे.

सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक राजीव तिवारी ने अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त किया प्रथम स्थान

अंचल प्रमुख भी हुए सम्मानित

नगर प्रतिनिधि

भोपाल। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार के सभी कार्मिकों के लिए सितंबर 2021 में अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के माध्यम से अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. उक्त प्रतियोगिता में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय पुणे में कार्यरत् मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजीव तिवारी ने अखिल भारतीय स्तर पर जांचकर्ता एवं अनुवादक दोनो श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया. भारत सरकार के सचिव माननीय श्री आर्या द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र द्वारा श्री राजीव तिवारी को सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय पुणे के अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा को भी अनुवाद टूल 'कंठस्थ' की

अनुवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. मीनाक्षी जौली ने अपने पत्र के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्मिकों की सराहना करते हुए बताया है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में कंठस्थ जैसे अनुवाद टूल का अधिकाधिक प्रचार किया जाना अपेक्षित है जिससे सरकारी प्रयोजनों में तकनीक के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

आंचलिक प्रबंधक ने सेंट मोबाइल ऐप का पोस्टर विमोचन किया

(सुनील सोन्हिया की रिपोर्ट)

पुणे - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजीटल माह मना रहा है इस अवसर पर ग्राहकों को सहज सरल रूप से बैंकिंग लेनदेन करने हेतु सेंट मोबाइल ऐप की विशेषताओं से संबंधित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय पुणे में 'सेंट मोबाईल एप्प' पोस्टर्स का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुणे अंचल प्रमुख श्री बी बी मुटरेजा ने 'सेंट मोबाईल एप्प' पोस्टर्स का विमोचन करते हुए बताया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 'सेंट मोबाईल एप्प' अनूठी विशेषताएं लिए हुए है जिसमें ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताएं कहीं भी और कभी भी पूरी की जा सकती है। उक्त एप्लीकेशन में 24×7 बैंकिंग, ई -पासबुक, मिनी स्टेटमेंट एवं नामांकन की सुलभता, फंड ट्रांसफर,चेकबुक, डेबिट/क्रेडिट/एटीएम कार्ड एवं इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट हेतु मांग, बिल भुगतान,मोबाईल रीचार्ज एवं अन्य सेवाओं की उपलब्धता है। अंचल प्रमुख ने अपने सभी बैंक स्टाफ से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक ग्राहकों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाएं. उल्लेखनीय है कि उक्त पोस्टर्स मराठी और हिन्दी में तैयार किए गए है ताकि महाराष्ट्र के निवासियों के लिए स्थानीय भाषा में सूचनाएं प्रदान की जा सके। उक्त कार्यक्रम में उपमहाप्रबंधक श्री संदिप कुमार पटेल, सहायक महाप्रबंधक श्री स्वदेश चंद्रा एवं अन्य अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति रही।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट-सह्याद्री

आईए, संभव बनाएं MAKE IT HAPPEN

पुणे अंचल की तिमाही गृहपत्रिका - अंक जून 2022

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों, शाखाओं एवं स्टॉफ सदस्यों के बीच केवल निजी वितरण हेतु